

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email id-henv.cg@nic.in

क्रमांक एफ 07-01/2025/32
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/01/2025

संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषय:- नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 के विकास नियमन में उपांतरण।

संदर्भ :- आपका ज्ञापन क्र-194/DP-661/नग्रानि./2025, दिनांक 15.01.2025

—00—

उपरोक्त विषयक छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत उपांतरण प्रस्ताव की सूचना संलग्न है। तत्संबंधी सूचना रायपुर के दो स्थानीय मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित कराने हेतु संचालक, जनसंपर्क को भेजे।

2/ सूचना की प्रति (परिशिष्ट सहित) आयुक्त, रायपुर संभाग, कलेक्टर कार्यालय, रायपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर, एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निर्देशित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(देवेन्द्र भारद्वाज)

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7-01/2025/32

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/01/2025

प्रतिलिपि :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

// सूचना //

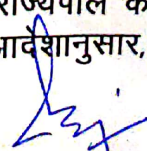
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/01/2025
क्रमांक एफ 7-01/2025/32 : छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) एवं (2) के अन्तर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ उपांतरण करने का अनंतिम निर्णय लिया है। अधिनियम की धारा 23-क (2) के अधीन राज्य शासन एतद् द्वारा प्रस्तावित उपांतरण के निम्नानुसार प्रारूप को क्षेत्र के सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु अवलोकनार्थ प्रकाशित करता है :-

नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव
(परिशिष्ट-एक)

- 2/ प्रस्तावित उपांतरण विकास योजना में निहित विकास नियमन में संशोधन हेतु है।
- 3/ उपांतरण प्रस्ताव की प्रति मानचित्र सहित आयुक्त, संभाग रायपुर, कलेक्टर, जिला रायपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के कार्यालयों में कार्यालय समय में (अवकाश के दिनों को छोड़कर) निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।
- 4/ अतः प्रस्तावित उपांतरण से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से इस सूचना के दो स्थानीय मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में एक दिन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर लिखित आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति तथा सुझाव निम्नलिखित कार्यालयों में शासकीय कार्य दिवसों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-

- (1) आयुक्त, रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़,
- (2) कलेक्टर कार्यालय, जिला रायपुर।
- (3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
- (4) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
- (5) आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



छ.न. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23-क के तहत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में वर्गीकरण प्रस्ताव

18.6.1 Regulations for Layer II

Regulations for Integrated Township

अंगीकृत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में

अधिनियम की धारा 23(क) के तहत वर्गीकरण प्रस्ताव

Minimum area requirement for the development of Integrated Township shall be 10 Ha.

Minimum area requirement for the development of Integrated Township shall be 10 Ha.

Sr. No.	Activity	Percentage of allotment of land	Details	Sr. No.	Activity	Percentage of allotment of land	Details
1	Residential	Maximum 50%	As per the provisions of Town Development Scheme. EWS is included.	1	Residential	Minimum 50%	Housing provisions for EWS & LIG will be in accordance with the prevailing Chhatisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 2013 Rule 10. Reservation of developed plots and/ or Constructed houses/ Flats for Economically Weaker Section (EWS) or Low Income Group (LIG).
2	Commercial	Maximum 5%	5% Convenient shops and sector level local shopping centres.	2	Commercial	Maximum 5%	Convenient shopping centre/ local shopping centre/ club.
3	Services & Facilities/ Social Infrastructure	Minimum 25%	All public and semi-public activities and roads.	3	Social Infrastructure	Minimum 5%	Education, health, religious building, community facilities
4	Social facilities	Maximum 5%	As per the provisions of Town Development Scheme.	4	Services, Facilities and Utility	Minimum 25%	Roads (minimum 12metres wide), Police Station, Fire Station, water reservoir/ sewer treatment plant, electric sub-station, banking and other facilities, etc.
5	Open area	Minimum 10%	Garden, playground etc.	5	Open area	Minimum 10%	Garden, playground, etc.
6	Water body	Minimum 5%	Development of pond on at least 5% of the total land of the Integrated Township area.				
Other Regulations:				Other Regulations:			
1. As per requirement the construction of STP will be mandatory and to be implemented by the developer himself.				1. As per requirement the construction of STP will be mandatory and to be implemented by the developer himself.			
2. Provision for Rainwater Harvesting will be mandatory to be implemented by the developer himself.				2. Provision for Rainwater Harvesting will be mandatory to be implemented by the developer himself.			
3. Provision for Solid Waste management as per the prevailing rules will be mandatory.				3. Provision for Solid Waste management as per the prevailing rules will be mandatory.			